इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 571] भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 अक्टूबर 2022—अश्विन 27, शक 1944

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2022

क्रमांक एफ 1—5—5—01—2022—छब्बीस—1.— दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्द्वारा, अनुसूची—एक में आयुष विभाग की स्थापना में, अनुसूची—दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है :—

अनुसूची—एक

(1) आयुष विभाग

अनुसूची–"दो"

निःशक्तजनों के लिये पदो का चिन्हांकन

विभाग : आयुष विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमार्क
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}	{11}
द्वितीय श्रेणी संविदा)	सी.एच.ओ. (आयुर्वेद)	515	515	31	8	8	8	8	32 *	
	सी.एच.ओ. (होम्योपैथी)	39	39	2	1	1	0	0	2	
	सी.एच.ओ. (यूनानी)	8	8	0	0	0	0	0	0	
	योग	562	562	33	9	9	8	8	34	
	सभी पदों को एकजाई कर योग	562	562	34	9	9	8	8	34	

* हालाकि सी.एच.ओ. (आयुर्वेद) के 515 पदों के विरूद्ध केवल 31 पद एवं सी.एच.ओ. (होम्योपैथी) हेतु केवल 2 पद एवं सी.एच.ओ. (यूनानी) के 8 पदों हेतु 0 पद कुल मिलाकर केवल 33 पद दिव्यांगजनों हेतु (6 प्रतिशत के अनुसार) आरक्षित किया जाना प्रतीत होता हैं, किन्तु सी.एच.ओ. (आयुर्वेद), सी.एच.ओ. (होम्योपैथी), सी.एच.ओ. (यूनानी) सभी संवर्गों के कुल पदो का योग 562 होने की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8–5/2004/आ.प्र./एक, दिनांक 31 मार्च, 2005 की कण्डिका छः)(3)(iii) में दिये गये उदाहरण के अनुसार कुल श्रेणीवार पद जिनको दिव्यांगजनों हेतु (6 प्रतिशत के अनुसार) आरक्षित किया जाना है उसकी संख्या 34 आती है, अतः सी.एच.ओ. (आयुर्वेद) संवर्ग के 515 पदों के विरूद्ध 31 के स्थान पर 32 पद दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित किये जाते हैं।

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमार्क
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}	{11}
तृतीय श्रेणी संविदा)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	62	62	4	1	1	1	1	4	
	योग	62	62	4	1	1	1	1	4	

उक्त चिन्हांकित पदों में किसी पद पर संबंधित दिव्यांगता का उम्मीदवार उपलब्ध न होने कि स्थिति में दिव्यांगता के अन्य प्रकार श्रेणी में चिन्हांकित पद पर नियुक्ति की कार्यवाही किये जाने की छूट प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके उपरांत भी दिव्यांगजनों के लिये चिन्हांकित 6 प्रतिशत पदों की पूर्ति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग छूट के लिये प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

No. F 1/5/5/01/2022/26-1- In exercise of the powers conferred by Section 101 of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No 49 of 2016), for identification of posts for the disabled persons, and under the provisions of Rule-17 of The Madhya Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, the Committee for identification of such posts, hereby, identifies the posts reserved for Disabled Persons as per the specifications prescribed in Schedule 2 in the establishment of AYUSH Department of Schedule 1

Schedule - 1

(1) AYUSH Department

Schedule - 2

Identification of Posts for the Disabled Persons

Department- AYUSH Department

Category	Post/Cadre	Posts sanctioned for direct recruitment	Total	Total Posts Identified for the disabled (According to 6 percent)	Identified Post/Cadre and number as per type of disability				Total (6+7+8+9)	Remark
					Visually impaired and low vision (1.5%)	Hearing Impaired Deaf and Hard of Hearing (1.5%)	Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy cured person, Dwarfism, Acid Attack Victim, Muscular Dystrophy (1.5%)	Autism, Intellectual Disability, Specific learning Disability, Mental Illness, Multiple Disability (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Second	CHO (Ayurveda)	515	515	31	8	8	8	8	32 *	
	CHO (Homeopathy)	39	39	2	1	1	0	0	2	
	CHO (Unani)	8	8	0	0	0	0	0	0	
	Total	562	562	33	9	9	8	8	34	
	Total of all the posts compiled together	562	562	34	9	9	8	8	34	

*Although according to 6 percent reservation, it appears that only 31 posts are required to be reserved for sabled against 515 posts of CHO (Ayurveda), similarly only 2 posts are required to be reserved for Disabled ainst 39 posts of CHO (Homeopathy) and there appears that there is no requirement for reservation against 8 posts CHO (Unani), thereby apparently requiring a total of only 33 posts to be reserved for Disabled Persons, but cording to the example given in General Administration Department's circular number F8-5/2004/AP/A, dated arch 31, 2005, Para (Six)(3)(iii), the total number of posts of three cadres of CHO (Ayurveda), CHO omeopathy), CHO (Unani) being 562, the number of posts which are required to be reserved comes to 34 (as per percent of 562 posts). Therefore, against 515 posts of CHO (Ayurveda) cadre, 32 posts are reserved for Disabled stead of 31.

Category	Post/Cadre	Posts sanctioned for direct recruitment	Total	Total Posts Identified for the disabled (According to 6 percent)	Identified Post/Cadre and number as per type of disability				Total (6+7+8+9)	Remark
					Visually impaired and low vision (1.5%)	Hearing Impaired Deaf and Hard of Hearing (1.5%)	Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy cured person, Dwarfism, Acid Attack Victim, Muscular Dystrophy (1.5%)	Autism, Intellectual Disability, Specific learning Disability, Mental Illness, Multiple Disability (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Third	Data Entry Operator	62	62	4	1	1	1	1	4	
	Total	62	62	4	1	1	1	1	4	

In the event of non-availability of a candidate with the required type of disability in any of the above dentified posts, it has been decided to grant exemption to proceed for appointment in the marked post through a andidate of other categories of disability. Even after this, in case of non-fulfillment of 6 percent posts marked for Disabled, the concerned Department can submit proposal for exemption before the Committee.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह,उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.